

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 10/2019 दायर दिनांक 11.01.2019

- वादीगण**
1. सोहनराम पुत्र जोराराम
 2. शिवकरण पुत्र जोराराम समस्त जाति जाट निवासी पीपला का बास तहसील डीडवाना जिला नागौर।

- प्रतिवादीगण**
1. कानाराम पुत्र पीथाराम
 2. हनुमानराम पुत्र गणपतराम
 3. पुरणाराम पुत्र गणपतराम
 4. रामनिवास पुत्र गणपतराम
 5. उमाराम पुत्र पीथाराम
 6. हरलाराम पुत्र जोराराम समस्त जाति जाट निवासी पीपला का बास तह तहसील डीडवाना जिला नागौर
 7. ग्राम पंचायत डाकीपुरा
 8. मेनेजर रा.म.ग्रा. बैंक शाखा धनकोली
 9. मेनेजर सिंडिकेट बैंक शाखा निमोद
 10. मेनेजर एस.बी.बी.जे शाखा धनकोली
 11. तहसीलदार डीडवाना

बनाम्

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

उपस्थित:-

1. श्री ओमप्रकाश पूनिया वकील वादीगण।

--: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 30.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा पीपला का बास पटवार हल्का डाकीपुरा की शरहद में खेत खसरा सं० 66, 67, 68, 80, 81, 82, 83, 84, वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 ता 07 की सामलाती व पैत्रिक कब्जा काशत की जमीन है।

उक्त खसरान में वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 25.08.2022 को तहसीलदार मौलासर को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांक: 651 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार मौलासर सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार मौलासर के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 651 दिनांक 14.09.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।




**सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)**


-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 ता 07 के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त खेत खसरा सं० 66, 67, 68, 80, 81, 82, 83, 84 वाकै सरहद पीपला का बास की भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 651 दिनांक 14.09.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 651 दिनांक 14.09.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


 (कार्तिकेय मीणा)
 सहायक कलेक्टर,
 R.A.S.
 डीडवाना (नागौर)
 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


 (कार्तिकेय मीणा)
 सहायक कलेक्टर,
 R.A.S.
 डीडवाना (नागौर)
 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना

डिक्री वमुकद्दमें इब्दादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 10/2019

दायर दिनांक 11.01.2019

वादीगण

1. सोहनराम पुत्र जोराराम
2. शिवकरण पुत्र जोराराम समस्त जाति जाट निवासी पीपला का बास तहसील डीडवाना जिला नागौर।

प्रतिवादीगण

1. कानाराम पुत्र पीथाराम
2. हनुमानराम पुत्र गणपतराम
3. पुरणाराम पुत्र गणपतराम
4. रामनिवास पुत्र गणपतराम
5. उमाराम पुत्र पीथाराम
6. हरलाराम पुत्र जोराराम समस्त जाति जाट निवासी पीपला का बास तह तहसील डीडवाना जिला नागौर
7. ग्राम पंचायत डाकीपुरा
8. मेनेजर रा.म.ग्रा. बैंक शाखा धनकोली
9. मेनेजर सिंडिकेट बैंक शाखा निमोद
10. मेनेजर एस.वी.वी.जे शाखा धनकोली
11. तहसीलदार डीडवाना

बनाम्


दावा बाबत
घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

दिनांक 30.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 ता 07 के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त खेत खसरा सं0 66, 67, 68, 80, 81, 82, 83, 84 वाकै सरहद पीपला का बास की भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 651 दिनांक 14.09.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 651 दिनांक 14.09.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.09.2022 को सरे इजलास जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सह सहायक कलक्टर
 डीडवाना (डीडवानौर)